न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2020	09.11.2018	29.01.2021

उनवान

1. रमेशसिंह पुत्र श्री महिपालसिंह जाति राजपूत निवासी लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट 1956

: निर्णय :–

दिनांक :– 29.01.2021

उपस्थिति :–

1– श्री रणवीर सिंह, वकील प्रार्थी

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 253 / 0.46, 254 / 0.36, 114 / 0.81, 86 / 0.24, 112 / 0.47, 87 / 0.22, 108 / 0.20 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के पिता की खानदानी आराजी है, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम महोलसिंह गलत दरज कर दिया गया है, प्रार्थी के पिता का राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजी नाम महिपालसिंह है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा में प्रार्थी के पिता का नाम महोलसिंह राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकन कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम समस्त दस्तावेजात में महिपालसिंह दर्ज है। और महिपालसिंह के नाम से ही समस्त सव्यवहार करता है, प्रार्थी के पिता महोलसिंह के नाम से कोई पहचान का दस्तावेज नहीं है। इसलिये प्रार्थी के पिता का आराजी मुतनाजा में महोलसिंह नाम अंकित रहने से आराजी मुतनाजा के संबंध में कोई सव्यवहार [illegible] से महरूप रह रहा है। प्रार्थी के पिता फौत हो चुके है, परन्तु [illegible] ना ही विरासत का इंतकाल करवा पा रहा है, और ना ही डी एम आई [illegible] की राशि प्राप्त कर पा रहा है, प्रार्थी अपनी विरासत में प्राप्त [illegible] की शेष आराजी को कहीं भी रहन, बैय, दान, रिकॉर्ड आदी नहीं कर पा रहा है, एवं ना ही बैंक से ऋण ले पाता है, आराजी मुतनाजा से संबंधित समस्त अधिकारों से वंचित रह रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:07:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

4. यह है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम महिपालसिंह है, तथा महोलसिंह पुत्र श्रवणसिंह नाम का कोई जीवित या मृत व्यक्ति भी नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपने पिता का नाम महोलसिंह के स्थान पर महिपालसिंह नाम शुद्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्धीपत्र के जरिये शुद्ध कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जा0 दि0 पेश किया गया जो बाद बहस स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 114/0.81 है0, 86/0.24, 112/0.47, 87/0.22, 108/0.20 है0 जोडा गया है।

प्रार्थीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त आराजी में महोलसिंह के स्थान पर महिपालसिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश नही किया। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2071–74, न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी डीएमआईसी जयपुर का पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रर्थाना पत्र पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा अवगत कराया की महोल सिंह पुत्र श्रवणसिंह को महीपाल सिंह व महोल सिंह दोनो नाम से जाना जाता था। हाल में जिसकी मृत्यु लगभग 4 साल पहले हो चुकी है। प्रार्थी के द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात् परिवार राशन कार्ड नम्बर 007198100522, आधार कार्ड संख्या 5058 9557 9074, पहचान पत्र क्रमांक RJ/08/059/009520, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी महिपाल दर्ज है।

वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का आराजी हाल नाम ख0 नं0 253/0.46, 254/0.36, 114/0.81, 86/0.24, 112/0.47, 87/0.22, 108/0.20 है0 वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में महोलसिंह के स्थान पर महिपाल सिंह राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अमल किया जावे। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:07:02 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0